न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— रामावतार मीणा
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—351 / 2024

आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड, कार्यालय तृतीय तल, जे0एस0ई0एल0 बिल्डिंग, मालवीय नगर, जयपुर राज0 पिन कोड 302001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी

—— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. श्री दीपेश कुमार (ऋणी),
   पता 1— प्लाट नम्बर 104, सनसिटी, गायत्री कालोनी, झालावाड, राजस्थान—326001
   पता 2— पट्टा नम्बर 69, वार्ड नं0 4, विलेज भावठडी, मैन चौक भावठडी, तहसील सूरजगढ, नियर गर्वनमेन्ट गर्ल्स स्कूल, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं, राजस्थान 333029
   पता 3 राजस्थान पुलिस, रिजारू पुलिस लाईन, झालावाड, राजस्थान 326001
2. श्री समुन्दर सिंह (सहऋणी),
   पता 1 गुड लक टिम्बर आई एन डी, जी—178, सरना डूंगर, झोटवाडा एक्स्टेंशन, जयपुर, राजस्थान—302012
   पता 2— पट्टा नम्बर 69, वार्ड नं0 4, विलेज भावठडी, मैन चौक भावठडी, तहसील सूरजगढ, नियर गर्वनमेन्ट गर्ल्स स्कूल, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं, राजस्थान 333029

—— अप्रार्थीगण

——

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकनस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 जिसे एतद् पश्चात् एक्ट के नाम से संबोधित किया गया है ऋणी / जमानती से प्रतिभूति सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेकर बैंक को दिलाने जाने के लिए।

——

उपस्थितः—

एडवोकट श्री अशोक कुमार शर्मा— प्रार्थी बैंक की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 08.09.2025

प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी के द्वारा लोन बाबत प्रार्थना पत्र बैंक मे प्रस्तुत करने पर ऋण खाता संख्या QZJA100005040533 ऋण राशि रूपये 10,24,491 / — रूपये (अंकेही दस लाख चौबीस हजार चार सौ ईकानवे रूपये मात्र) दिनांक 06.06.2018 को स्वीकृत की गई थी तथा उक्त ऋण सुविधा के ऐवज मे बंधक विलेख को निष्पादित कर अचल सम्पत्ति पट्टा नम्बर 69, वार्ड नं0 4, विलेज भावठडी, मैन चौक भावठडी, तहसील सूरजगढ, राजस्थान क्षेत्रफल एरिया 80 वर्गगज है जिसकी चतुर्थ सीमायें पूर्व— ओमप्रकाश श्योरान का घर, पश्चिम— रोड, उत्तर— महिपाल श्योरान, दक्षिण— रमेश कुमार जांगिड का घर। अप्रार्थीगण ने बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण को ऋण अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार नही चुकाया परिणामस्वरूप उनके ऋण खाते को दिनांक 09.07.2024 को अकियान्वित आस्ति के रूप मे वर्गीकृत कर दिया गया व अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाता संख्या QZJA100005040533 की कुल बकाया राशि रूपये 10,47,973.65 / — रूपये (अंकेही दस लाख सैंतालीस हजार नौ सौ तिहत्तर रूपये पैंसठ पैसे मात्र) दिनांक 30.10.2024 तक का ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके पश्चात् का ब्याज व अन्य खर्च अतिरिक्त बकाया निकलते है। उक्त खाते मे बकाया ऋण राशि को अप्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार भुगतान ना करने पर एन0पी0ए0 वर्गीकृत होने के बाद एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को दिनांक 29.10.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये थे उक्त मांग नोटिस के तामिल की पावती भी सलंग्न है। अप्रार्थीगण को उपरोक्त नोटिस के अनुसार नोटिस की दिनांक से 60 दिवस के अन्दर बैंक के ऋण खाते की बकाया राशि ऋण खाता संख्या QZJA100005040533 की कुल बकाया राशि रूपये 10,47,973. 65 / — रूपये (अंकेही दस लाख सैंतालीस हजार नौ सौ तिहत्तर रूपये पैंसठ पैसे मात्र) दिनांक 30.10. 2024 का ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके पश्चात् का ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त का भुगतान करना

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

था परन्तु अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नही की है परिणामस्वरूप बैंक को बकाया ऋण की वसूली करने के लिए प्रतिभूति सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेना आवश्यक हो गया है। उक्त एक्ट की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूति सम्पत्ति का भौतिक कब्जा अप्रार्थीगण से लेकर प्रार्थी बैंक को सुपुर्द करने के लिए उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। बैंक के पास प्रतिभूति सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है अचल सम्पत्ति पट्टा नम्बर 69, वार्ड नं0 4, विलेज भावठडी, मैन चौक भावठडी, तहसील सूरजगढ, राजस्थान क्षेत्रफल एरिया 80 वर्गगज है जिसकी चतुर्थ सीमायें पूर्व– ओमप्रकाश श्योरान का घर, पश्चिम– रोड, उत्तर– महिपाल श्योरान, दक्षिण– रमेश कुमार जांगिड का घर। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 मे वर्णित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा अप्रार्थीगण से लेकर प्रार्थी बैंक को दिलाने के लिए पर्याप्त बल प्रदान करने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नही चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

हमने प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगणको व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनर्फोसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति पट्टा नम्बर 69, वार्ड नं0 4, विलेज भावठडी, मैन चौक भावठडी, तहसील सूरजगढ, राजस्थान क्षेत्रफल एरिया 80 वर्गगज है जिसकी चतुर्थ सीमायें पूर्व– ओमप्रकाश श्योरान का घर, पश्चिम– रोड, उत्तर– महिपाल श्योरान, दक्षिण– रमेश कुमार जांगिड का घर जो कि समुन्दर सिंह के नाम से है का पजेशन प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 08.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

जिला कलक्टर, झुंझुनूं